उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 06/2016-17

शांति मरीक एवं अन्य .... अपीलकर्त्ता

बनाम

रामेश्वर बैठा .... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

31/12/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0- 06/2016-17 शांति मरीक एवं अन्य बनाम् रामेश्वर बैठा, सा0 जयनगरा, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर.ई. वाद सं0- 34/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसमें अपीलकर्त्ता को मौजा जयनगरा के वर्त्तमान सर्वे जमावन्दी सं0 24 के अन्तर्गत दाग सं0 217 से उच्छेदित किया गया है।

मैनें अपीलकत्तओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकत्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायालय में सुनवाई के दौरान कागजात दाखिल करने हेतु मौका नहीं दिया गया। प्रश्नगत दाग पर अपीलकत्ताओं के नाम से बॉसगीत पर्चा निर्गत है तथा उस पर घर बनाकर रह रहे है। ऐसी स्थिति में इसपर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 20 एवं 42 लागू नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी की उपस्थिति न्यायालय में नहीं रहने के कारण उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उत्तरकारी द्वारा दिनांक 30.12.2016 को कागजात के साथ लिखित बहस दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा जयनगरा के गैंजर सर्वे के जमाबन्दी सं0 37 मदन बैठा एवं जानकी बैठा के नाम से दर्ज है। उत्तरकारी जमाबन्दी रैयत जानकी बैठा के पुत्र है। उक्त जमाबन्दी के पुराना दाग सं0 153 जो वर्त्तमान सर्वे में दो नये दाग सं0 216 रकवा 0.05डी0, हाल जमाबन्दी नं0 15 किस्म जमींन बाड़ी-।. हाल खतियानी रैयत जानकी बैठा पिता कटकी बैठा वो कमला बैठाईन पिता मदन बैठा एवं दाग सं0 217 रकवा 0.02डी0 जमाबन्दी नं0 24 किस्म जमींन (मकान) हाल खतियानी रैयत प्रभु मरीक वो शांति मरीक पिता लाल चन्द्र मरीक के नाम से दर्ज है। उत्तरकारी द्वारा जमाबन्दी नं0 24 के दाग सं0 217 रकवा 0.02डी0 जमींन में अपीलकर्त्ता के नाम से दर्ज खतियान को रद्द करने हेतु न्यायालय प्रभारी पदाधिकारी ।।, सं0प0 बन्दोबस्त, दुमका के न्यायालय में कालबाधित वाद सं0 95/09

दायर किया गया जिसमें उत्तरकारी के दावों को यह कहकर स्वीकार किया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त प्लॉट की बन्दोबस्ती के संबंध में किसी प्रकार का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया और न ही बन्दोबस्ती का कोई आदेश प्रस्तुत किया गया है। उक्त दाग से अपीलकर्त्ता के नाम को खारीज करते हुए उत्तरकारी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

उत्तरकारी द्वारा इन्हीं तथ्यों का उल्लेख करते हुए कागजात के साथ लिखित बहस दाखिल किया गया है एवं अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता भूमिहीन श्रमिक है उक्त दाग में बॉसगीत पर्चा मिला है तथा वर्ष 2015–16 का लगान रसीद प्रधान द्वारा निर्गत है। उक्त दाग में उनका मकान बना हुआ है किन्तु उनके द्वारा दाखिल लगान रसीद की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दाग सं0 561(परती कदीम), दाग सं0 95 (मकान) एवं 168 (मकान) दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि विवादित दाग के अलावे उनका इन दागों में जमींन एवं मकान है जो भूमिहीन श्रेणी में नहीं आते है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन रैयती जमींन है एवं उत्तरकारी के नाम से वर्त्तमान सर्वे में दर्ज करने का आदेश है। अपीलकर्त्ता के दर्ज नाम को प्रभारी पदाधिकारी–।।, सं0प0 बन्दोबस्त, दुमका के कालबाधित वाद सं0 95/2009 में खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के दावों को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।